सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2014-15

राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	3–15
3.	अधिनियम का क्रियान्वयन	16–18
4.	संप्रेषण	19–21
5.	परिशिष्ट –1	22–26

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि **'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता'** प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनो का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहॉ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं ?इसलिये आवश्यक है सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार । अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा–जोखा नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उसे सूचना के अधिकार अधिनियम ने निष्प्रभावी कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं

तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक '' प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक '' बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें सरकार को सौंपी गई। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई, 2005 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुई।

सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों (जम्मू कश्मीर को छोडकर), स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती–राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है, लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत् राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.06 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 1.9.2010 को सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम0डी0 कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.4.2011 को पूर्ण हुआ तत्पश्चात द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 5.9.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल को माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। आयोग एक वैधानिक निकाय है जो कि पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है:–

(ब) संगठनात्मक ढाँचा:–

राजस्थान सूचना आयोग

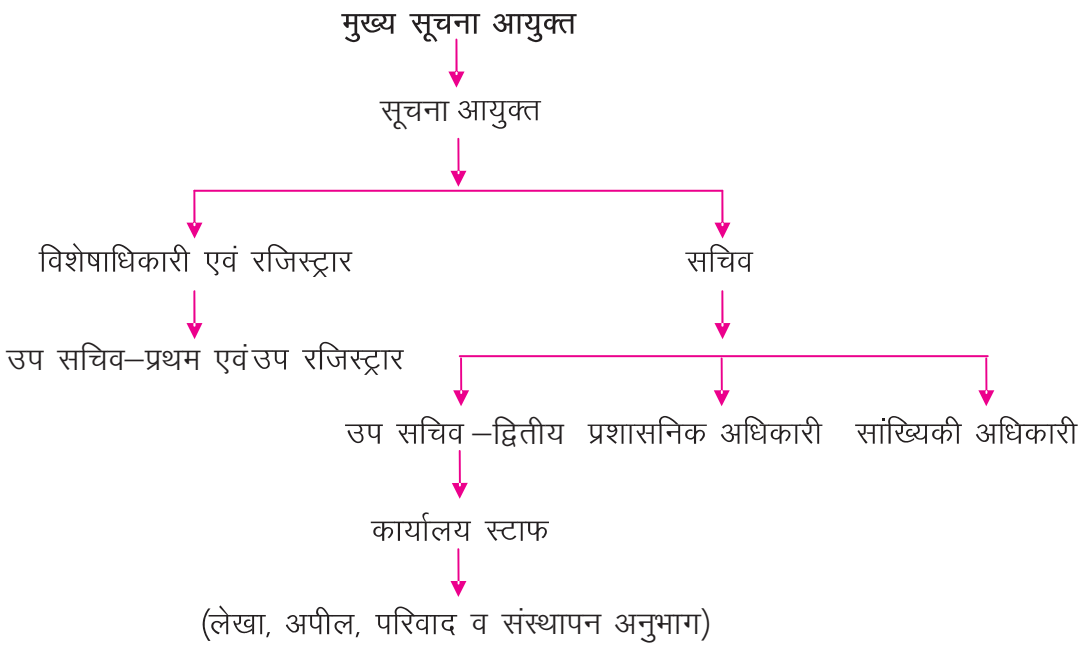

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है। राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं–

(क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।

(ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है :–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसको उपस्थित होने के लिये बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित सशपथ साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये विवश करना;

(ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतियां मंगवाना;

(ड़) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिये सम्मन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच मे लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है।

सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति आरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

(क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिये सिफारिश करेगा।

(4) अधिनियम की कियान्विति को सुनिश्चित करना :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है:–

(1) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।

(3) कतिपय सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध मे।

(6) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में । 19(8)(क)(vi)

(7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। धारा 19(8)(ख)

अधिनियम की धारा 25(1) के अर्न्तगत उसे अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। यह वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन

राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार उक्त प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती हैः–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(6) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग को वर्ष 2014–2015 के लिये राशि रू. 200.00 लाख **''ग्रान्ट इन एड''** के रूप में आवंटित की गयी है जिसमें से राशि रू. 163.57 लाख का व्यय हुआ है।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय आयोग के गठन से अक्टूबर 06 तक योजना भवन में एवं नवम्बर 06 से हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (RIPA) में था। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात् हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.6.2013 से आयोग का कार्यालय यहां संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :–

राजस्थान सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिये राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।

(8) क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की **धाराऐं 18, 19, 20 व धारा 25 के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही की है व आवश्यक कदम उठाये हैं।** राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग 9 वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक अधिकरणों की स्थापना व उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व कार्यरत करने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। 31 मार्च, 2014 को 293 परिवाद एवं 14071 द्वितीय अपीलें लम्बित थी। वर्ष 2014–2015 में '' सूचना के अधिकार'' को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलो की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

परिवादों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
अप्रैल, 2014	64	57	300
मई, 2014	37	41	296
जून, 2014	74	72	298
जुलाई, 2014	11	82	227
अगस्त, 2014	41	68	200
सितम्बर, 2014	83	71	212
अक्टूबर, 2014	158	72	298
नवम्बर, 2014	60	134	224
दिसम्बर, 2014	115	185	154
जनवरी, 2015	31	64	121
फरवरी, 2015	88	84	125
मार्च, 2015	114	44	195
योग	**876**	**974**	

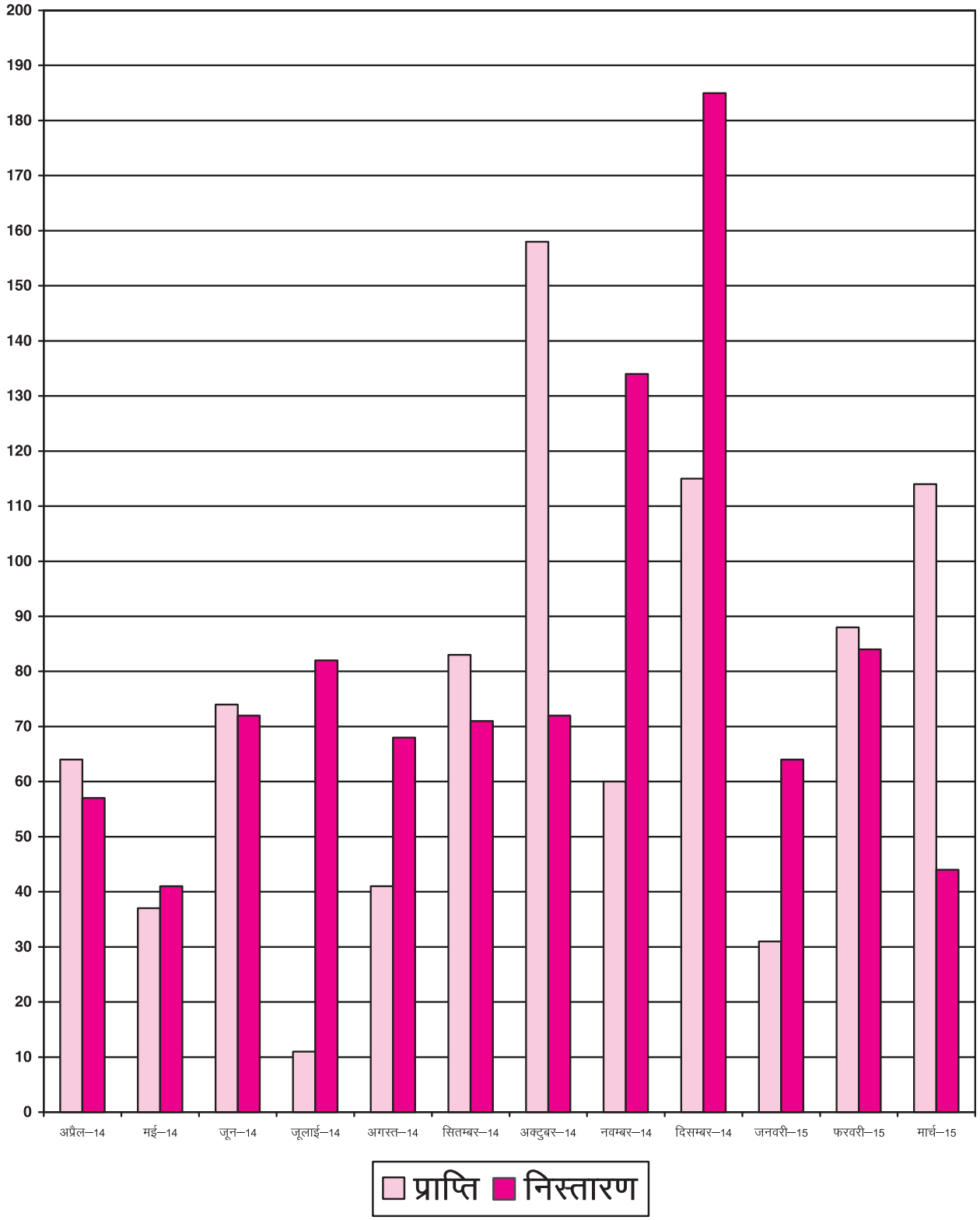
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
अप्रैल–14
मई–14
जून–14
जूलाई–14
अगस्त–14
सितम्बर–14
अक्टुबर–14
नवम्बर–14
दिसम्बर–14
जनवरी–15
फरवरी–15
मार्च–15
प्राप्ति
निस्तारण

परिवादों की प्रगति

लम्बित परिवादों का विवरण

अपीलों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2014	596	409	14258
मई, 2014	479	287	14450
जून, 2014	1004	448	15006
जुलाई, 2014	667	464	15209
अगस्त, 2014	692	419	15482
सितम्बर, 2014	663	519	15626
अक्टूबर, 2014	274	394	15506
नवम्बर, 2014	416	418	15504
दिसम्बर, 2014	377	512	15369
जनवरी, 2015	259	706	14922
फरवरी, 2015	555	715	14762
मार्च, 2015	600	767	14595
योग	**6582**	**6058**	

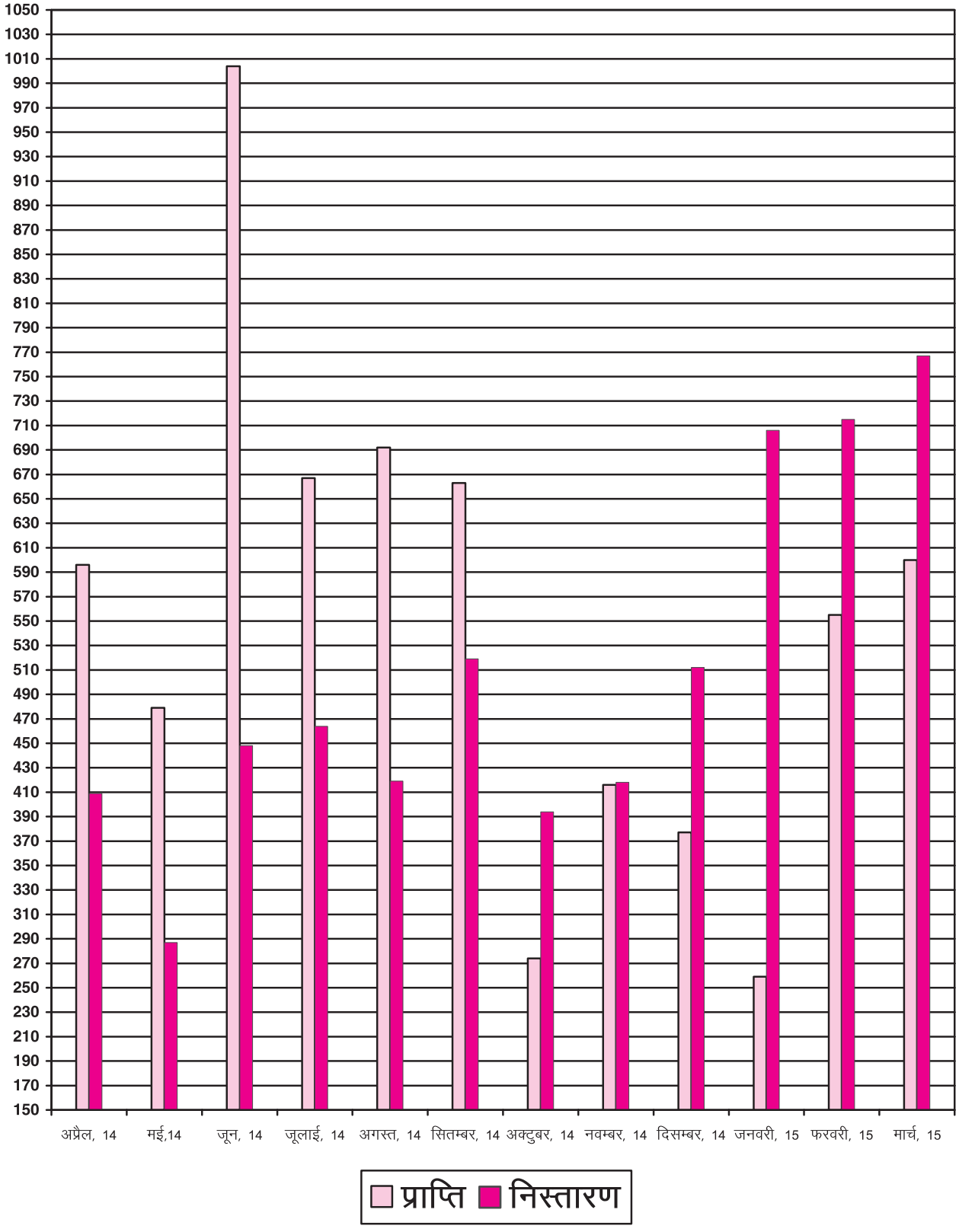
1050
1030
1010
990
970
950
930
910
890
870
850
830
810
790
770
750
730
710
690
670
650
630
610
590
570
550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170
150
अप्रैल, 14
मई,14
जून, 14
जूलाई, 14
अगस्त, 14
सितम्बर, 14
अक्टुबर, 14
नवम्बर, 14
दिसम्बर, 14
जनवरी, 15
फरवरी, 15
मार्च, 15
प्राप्ति
निस्तारण

अपीलों की प्रगति

लम्बित अपीलों का विवरण

(9) <u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में प्रदत्त प्रथम अपीलीय आदेश पर देय सूचना प्रदान कराने के लिये अभिनव प्रयोग</u> :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत संस्थित प्रथम अपीलों के निर्णयों से संतुष्ट न होने पर या उसकी पालना न होने पर धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील या धारा 18(1) के तहत परिवाद आयोग में प्रस्तुत होते हैं।

प्रथम अपीलों के निर्णयों के क्रम में जब सूचना संबंधित अपीलीय अधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारीगणों द्वारा प्रेषित नहीं की जाती है तो राहत प्राप्त करने के लिये आयोग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, जिस पर आयोग में प्रथमतः विविध प्रार्थना पत्र (Miscellaneous Application) दर्ज किये जाकर सचिव, राज्य सूचना आयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है। जिन प्रकरणों में प्रार्थी को सूचना प्राप्त हो जाती है उन्हें समाप्त किया जाता है एवं अवशेष परिवाद में दर्ज किया जाते है। यह कार्यवाही सूचना आयुक्त के अनुमोदनपरांत की जाती है।

इस प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 में 336 प्रकरणों में सूचना प्रदान करवा दी गई है एवं 552 मामलों में सूचना न मिलने पर या प्रदत्त सूचना से परिवादी के सन्तुष्ट नहीं होने की स्थिति में धारा 18(1) के तहत परिवाद पंजीकृत किये गये है।

(10) लोक सूचना अधिकारी :– पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। प्रायः सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

''सूचना के अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थायें हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के पंचों/सरपंचों/पंचायत समितियों के प्रधानों आदि के प्रशिक्षण हेतु भी समुचित आदेश प्रदान किये गये।

(11). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2014–2015 में आरोपित शास्ति एवं लगाई गई क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रूपयों में)		क्षतिपूर्ति (रूपयों में)	
	आरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	76,18,000	15,38,500	1,50,000	45,500

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :–

सूचना आयोग के निर्णयानुसार आरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी प्रायः राशि जमा नहीं कराई जाती है। अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके, इसके लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय–समय पर लिखा जाता रहा है।

साथ ही शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली / अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (**audit para**) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

***आलोच्य वर्ष 2014–15 में आरोपित शास्ति एवं जमा राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति का विवरण :–**

विवरण	आरोपित शास्ति	जमा शास्ति	लगाई गई क्षतिपूर्ति	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	76,18,000	24,97,500	1,50,000	45,500

इस जमा शास्ति / क्षतिपूर्ति राशि में क्रमशः 15,38,500 / – एवं 45,500 / – वर्ष 2014–15 की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम **'राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005'** दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे0 एल0 एन0 मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड़ पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.6.2013 को यहां स्थानांतरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर अपीलीय अधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपीलीय अधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों व अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जहाँ

नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह प्रयास सराहनीय रहा, वहीं आज भी आशा की जाती है कि हर विभाग अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप एक सीमा रेखा (Cutting Edge Level) अंकित करेगा, जहाँ तक उसका प्रतिनिधि '' लोक सूचना अधिकारी '' उपलब्ध होकर, सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, सूचना उपलब्ध करायेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाना पड़ें। कई विभाग, जैसे–शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत विभाग व कुछ अन्य ने अत्यन्त विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर प्रसारित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। ज्यादातर विभागों ने इस नियम की अनुपालना की है। विभागाध्यक्षों के लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय–समय पर कितने परिवाद/अपील आये, कितने निर्णित हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नहीं होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति **परिशिष्ट – 1** पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके ।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वयं ऐच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये एवं उनके द्वारा इस हेतु सभी लोक प्राधिकरणों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।

सूचना चाहने वाले नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की एक निर्देशिका बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे एवं कुछ जिलों में यह नाम मात्र की कीमत पर देने के लिए तैयार की गई है। सूचना का अधिकार कानून पूरी तन्मयता से लागू हो इसके लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के बारें में आम नागरिकों को सहज सुलभ जानकारी हो। जिला कलेक्ट्रेट प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में सूचना का अधिकार की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलेक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनाने के निर्देश का पालन करें। साथ ही सालाना इस निर्देशिका को अद्यतन (up-date)करने का सामान्य कार्यालयी अभ्यास बना ले।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों व द्वितीय अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षो से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिए अधिकारियों की सोच मे परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति संतोषजनक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग दस वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत सूचनाओं की मॉग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहॉ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. वस्तुतः सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्यकता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित हो तथा उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश हो।
6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगणों तथा ऐसे सभी स्तरों तक, जिनका अधिकार के इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है, जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है। कई बार वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं, जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है।
8. सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रकरण की ''प्रथम अपील'' एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस विषयक वस्तुःस्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि ''प्रथम अपील'' के निपटारे की स्थिति

सन्तोषप्रद नहीं है। प्रथम अपील सुनने वाले लोक अधिकारीगण अपने यहॉ लम्बित प्रकरणों को या तो निपटारा ही नही कर रहे हैं, या फिर यह निपटारा नियमों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण मजबूर होकर राज्य आयोग के सम्मुख ''दूसरी अपील'' ले जा रहे हैं, जहाँ इसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

9. प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पालना कई प्रकरणों में नहीं होती है जिससे प्रार्थी द्वितीय अपील में आता है। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है। अतः उनके निर्णय की पालना करवायी जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
10. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है जो कि अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के यहां जिला स्तरीय अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी) की बैठक रखी जाती है। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जायेगा जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कोई जानकारी अधिकारियों/आमजन के लिये उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ–साथ राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील अधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ **''हस्तपुस्तिका''** तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।
11. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाईट'' पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन 'वेबसाईट्स' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार कानून के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी। इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य स्वयंमेव ही पूर्ण होगा।

12. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।
13. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने **''रिकॉर्ड्स''** का सही रख–रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड्स, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिये राजस्थान में भी भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

    जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोतर विकास होगा, जो कि प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।
14. राजस्थान सूचना आयोग में मानव संसाधन का अत्यन्त अभाव है जिसका प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पडता है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व दो सूचना आयुक्त सहित कुल 67 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 47 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 14 स्थायी एवं 33 सेवानिवृत्त/संविदा आधार पर हैं। अवशेष पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, की धारा 16(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों। अतः आयोग में बढते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव दिनांक 15.01.2013 को प्रेषित किये गये हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है।
15. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों/परिवादों में आरोपित शास्ति को जमा कराने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। विभागों/लोक प्राधिकरणों से बार–बार पत्राचार करना पडता है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी है। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारी (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा एजेण्डा में शामिल करें। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा–जोखा रजिस्टर संधारित करने से समीक्षा की सहूलियत रहेगी। साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। सभी विभागों/लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2014-15)

प्रपत्र – क

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचनाएँ		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2014-15 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	राजस्व मण्डल	557	534	23	530	16	10	1	10027
2	समेकित बाल विकास विभाग	894	496	398	854	22	18	0	27258
3	विभागीय जांच	7	7	0	7	0	0	0	134
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3333	2572	761	2585	407	129	212	86429
5	आयुर्वेद विभाग	709	632	77	563	123	19	4	7675
6	गृह विभाग	44070	30578	13492	40467	639	1455	1509	1044098
7	वित विभाग	10212	8386	1826	10077	135	0	0	280485
8	पर्यावरण विभाग	73	73	0	66	0	7	0	740
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	692	692	0	668	16	3	5	6792
10	अल्प संख्यक मामलात	733	691	42	624	56	24	29	5428
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	13085	13085	0	5798	4810	1328	1149	721763
12	ग्रामीण विकास विभाग	46	46	0	46	0	0	0	246
13	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल	37	37	0	37	0	0	0	1891
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	1165	1165	0	855	266	0	44	10910
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	100	100	0	0	0	46	54	4975
16	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	11	11	0	11	0	0	0	530
17	राजस्थान निर्वाचन आयोग	144	144	0	141	0	3	0	1641
18	आयोजना विभाग	184	171	13	173	8	3	0	3185
19	एच.सी.एम. रीपा	40	31	9	36	1	0	3	1332
20	विधि विभाग	257	257	0	185	30	42	0	4782
21	उर्जा विभाग	9371	8116	1255	6560	1454	6	1351	240119
22	उद्योग विभाग	1179	514	665	1013	57	60	49	42676
23	जल संसाधन विभाग	1874	1511	363	1737	97	40	0	96130
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	687	541	146	665	10	5	7	18362
25	राजभवन, जयपुर	625	625	0	319	0	303	3	18694
26	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रिमण्डल विभाग	1723	1479	244	1439	9	263	12	33382
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	4004	4004	0	2274	781	639	310	61202
28	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	69	44	25	47	22	0	0	422
29	सहकारिता विभाग	3353	3063	290	3096	129	50	78	120255
30	राजस्थान आवासन मण्डल	5053	4446	607	4767	131	47	108	174864

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचनाएँ		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2014-15 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
31	कृषि विभाग	2149	1797	352	2070	49	9	21	112263
32	सार्वजनिक निमाण विभाग	3476	2295	1181	3208	170	37	61	105242
33	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	25	25	0	25	0	0	0	260
34	नगर निगम, जयपुर	3721	3418	303	2464	927	30	300	50533
35	श्रम एवं नियोजन विभाग	594	472	122	472	48	47	27	11240
36	पर्यटन विभाग	250	236	14	202	27	0	21	13611
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1563	1099	464	1383	114	0	66	12823
38	राजस्थान सूचना आयोग	664	664	0	664	0	0	0	5099
39	उच्च शिक्षा विभाग	580	580	0	289	291	0	0	15530
40	देवस्थान विभाग	1126	978	148	1015	87	16	8	61219
41	वन विभाग	2291	2016	275	1853	171	157	110	113445
42	निर्वाचन विभाग	2182	1548	634	2029	29	47	77	30197
43	राज्य महिला आयोग	87	87	0	87	0	0	0	5045
44	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	52	52	0	52	0	0	0	615
45	कार्मिक विभाग	1595	1595	0	1460	8	118	9	227594
46	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	5452	4019	1433	4004	629	89	730	332123
47	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1691	1440	251	1400	214	27	50	624704
48	संस्कृत शिक्षा विभाग	464	359	105	424	30	8	2	6802
49	परिवहन विभाग	6701	6090	611	5708	741	28	224	82442
50	कला,साहित्य,संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	627	590	37	476	142	6	3	6660
51	सम्पदा विभाग	40	29	11	40	0	0	0	3569
52	पशुपालन विभाग	374	361	13	300	65	2	7	19372
53	सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	181	4	177	163	14	2	2	19972
54	उद्यान निदेशालय	265	231	34	246	0	17	2	220083
55	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	20	20	0	8	0	1	11	170
56	खाद्य विभाग	2482	2363	119	1892	245	184	161	62165
57	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	251	23	228	226	0	0	25	13778
58	कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग	54	49	5	53	1	0	0	2004
59	युवा एवं खेल मामले विभाग	115	115	0	37	69	2	7	1170
60	लोकायुक्त सचिवालय	325	325		325	0	0	0	7870
61	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	739	739	0	739	0	0	0	9850
62	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1087	872	215	379	594	73	41	12710
63	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	6758	6046	712	4847	464	127	1320	54760
64	प्रशासनिक सुधार विभाग	859	859	0	855	0	4	0	8076
65	सैनिक कल्याण विभाग	117	30	87	111	1	4	1	1232
66	राजस्व विभाग	1166	827	339	1082	56	27	1	16904
67	स्थानीय निकाय एवं स्वायत शासन विभाग	15545	13067	2478	10838	1768	328	2611	410977
68	पंचायतीराज विभाग	854	598	256	655	199	0	0	19980
	योग	**170809**	**139969**	**30840**	**137721**	**16372**	**5890**	**10826**	**5728516**

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2014-15)

प्रपत्र –ख

क्र.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल	56	32	14	10
2	समेकित बाल विकास विभाग	45	45	0	0
3	विभागीय जांच	0	0	0	0
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	314	274	33	7
5	आयुर्वेद विभाग	105	73	23	9
6	गृह विभाग	1905	660	1173	72
7	वित विभाग	689	560	129	0
8	पर्यावरण विभाग	8	6	2	0
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	57	50	0	7
10	अल्प संख्यक मामलात	9	8	0	1
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	2141	1150	877	114
12	ग्रामीण विकास विभाग	1	1	0	0
13	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल	0	0	0	0
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	108	0	105	3
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	9	5	4	0
16	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	0	0	0	0
17	राजस्थान निर्वाचन आयोग	8	3	2	3
18	आयोजना विभाग	17	17	0	0
19	एच.सी.एम. रीपा	3	3	0	0
20	विधि विभाग	37	4	33	0
21	उर्जा विभाग	1201	811	223	167
22	उद्योग विभाग	140	53	65	22
23	जल संसाधन विभाग	85	61	24	0
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	51	49	1	1
25	राजभवन, जयपुर	28	0	26	2
26	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रिमण्डल विभाग	177	156	14	7
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	505	196	236	73
28	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	1	1	0	0
29	सहकारिता विभाग	177	156	21	0
30	राजस्थान आवासन मण्डल	346	308	26	12
31	कृषि विभाग	82	55	15	12
32	सार्वजनिक निमाण विभाग	330	312	15	3
33	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	3	0	3	0

क्र.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
34	नगर निगम, जयपुर	1186	989	0	197
35	श्रम एवं नियोजन विभाग	41	19	22	0
36	पर्यटन विभाग	22	21	1	0
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	141	101	22	18
38	राजस्थान सूचना आयोग	67	39	28	0
39	उच्च शिक्षा विभाग	83	83	0	0
40	देवस्थान विभाग	101	49	52	0
41	वन विभाग	256	207	41	8
42	निर्वाचन विभाग	68	22	17	29
43	राज्य महिला आयोग	0	0	0	0
44	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	7	7	0	0
45	कार्मिक विभाग	130	118	12	0
46	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	145	42	42	61
47	चिकित्सा शिक्षा विभाग	270	187	73	10
48	संस्कृत शिक्षा विभाग	36	33	3	0
49	परिवहन विभाग	322	302	0	20
50	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	21	19	0	2
51	सम्पदा विभाग	3	2	0	1
52	पशुपालन विभाग	50	49	1	0
53	सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	28	11	16	1
54	उद्यान निदेशालय	1	1	0	0
55	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	1	1	0	0
56	खाद्य विभाग	216	54	124	38
57	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	40	40	0	0
58	कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग	0	0	0	0
59	युवा एवं खेल मामले विभाग	23	20	0	3
60	लोकायुक्त सचिवालय	41	8	33	0
61	नगरीय विकास विभाग (स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	70	58	12	0
62	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	93	86	7	0
63	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	557	385	41	131
64	प्रशासनिक सुधार विभाग	68	30	28	10
65	सैनिक कल्याण विभाग	3	3	0	0
66	राजस्व विभाग	44	44	0	0
67	स्थानीय निकाय एवं स्वायत शासन विभाग	1848	1075	505	268
68	पंचायतीराज विभाग	58	6	46	6
	योग	**14678**	**9160**	**4190**	**1328**

विभागों/लोक प्राधिकरणों की सूची जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है (वर्ष 2014-15)

प्रपत्र – **ग**

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचनाएँ		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2014-15 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	माध्यमिक शिक्षा विभाग	–	–	–	–	–	–	–	–